बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी०–1/06–01–05–2012/ पटना, दिनांक 05/04/25

बिहार पुलिस मुख्यालय आदेश सह–पठित ज्ञापांक 518/443216/पी0–1, दिनांक 09.10.2019 एवं अन्य अनुवर्ती आदेशों के माध्यम से राज्य पुलिस में परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए परिचारी प्रवर कोटि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नत हुए पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त अनुसंधान के क्रम में जप्त आग्नेयास्त्रों के जाँच का कार्य प्रभारित किया जाता रहा है। वर्तमान में प्रभारित पदाधिकारियों के सेवानिवृति के फलस्वरूप इस पंक्ति के पदाधिकारियों की संख्या में काफी कमी हो जाने के कारण जिलों में अनुसंधान के क्रम में जप्त आग्नेयास्त्रों के जाँच का कार्य प्रभावित हो रहा है।

2. बिहार पुलिस हस्तक 1978, खण्ड–1 नियम 661 (सी) में आयुधिक संवर्ग के पदाधिकारियों को विशेषज्ञ माना गया है। बिहार पुलिस हस्तक नियम 1106 एवं नियम 1248 के अन्तर्गत आयुधिक संवर्ग के उत्तरदायित्वों में आयुधों के निरीक्षण, मरम्मत, सभी तकनीकी काम एवं देखरेख का उल्लेख है। बिहार पुलिस हस्तक नियम 1089 में आयुधिक संवर्ग हेतु चयनित का केन्द्रीय आयुध कर्मशाला में उनके विषय क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण का भी उपबंध है। इस प्रकार ये संवर्ग विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में शस्त्रों के जाँच के संबंध में आयुधिकों के निष्कर्ष को मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही, बिहार पुलिस हस्तक 1978 का खण्ड–3 परिशिष्ट–78 (ix) आग्नेयास्त्रों की जाँच के संबंध में प्रारक्ष निरीक्षक (परिचारी प्रवर) को भी प्राधिकृत करता है। किन्तु, वर्तमान में परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों की अत्यधिक कमी है।

3. सम्यक विचारोपरान्त क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित आयुधिक संवर्ग के निरीक्षकों को क्षेत्रान्तर्गत जिलों में निम्नांकित तालिकानुसार अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त अनुसंधान के क्रम में जप्त आग्नेयास्त्रों के जाँच का कार्य भी प्रभारित किया जाता है :–

क्र0	आयुधिक निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	जाँच हेतु प्रभारित जिलों का नाम
1	2	3	4
1	श्री गोखुला राम	पुलिस उप महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा का कार्यालय	दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर
2	श्री कौशल शर्मा	पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया का कार्यालय	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल एवं नवादा
3	श्री अजय कुमार	पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर का कार्यालय	भागलपुर, नवगछिया एवं बांका
4	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर का कार्यालय	मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं रेल जमालपुर
5	श्री उमाशंकर चौधरी	पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना का कार्यालय	पटना
6	श्री तालेश्वर टुडू	– तथैव –	नालंदा

क्र0	आयुधिक निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	जाँच हेतु प्रभारित जिलों का नाम
1	2	3	4
7	श्री रविकान्त पाठक	पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का कार्यालय	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली एवं रेल मुजफ्फरपुर
8	श्री राजकुमार राय	पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया का कार्यालय	बेतिया, मोतिहारी एवं बगहा
9	श्री राज नन्दन सिंह	पुलिस उप महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय का कार्यालय	बेगूसराय एवं खगड़िया
10	श्री अभयकान्त झा	पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा का कार्यालय	सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद	पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे का कार्यालय, पटना	रेल पटना
12	श्री सतीश कुमार सिंह	पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन–सोन का कार्यालय	रोहतास, कैमूर, बक्सर एवं भोजपुर
13	श्री दिनेश कुमार तिर्की	पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया का कार्यालय	पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया एवं रेल कटिहार
14	श्री दुर्गा बहादुर सिंह	पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा का कार्यालय	सारण, सिवान एवं गोपालगंज

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

ज्ञापांक/पी०–1/06–01–05–2012/183 पटना, दिनांक : 04-04-24

प्रतिलिपि :–

1. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, सोशल मीडिया कोषांग, बिहार पुलिस मुख्यालय को इस आदेश को बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/4/2024

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

D/P1/Pankaj Kumar/Order/order--------